न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,नागौर
पीठासीन अधिकारी–अरूण कुमार पुरोहित, आई.ए.एस.

प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या– ......73...... / 2025
जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर– 2025 / ......81....

प्रार्थी

Central Bank Of India Registered Office Address- Central Bank Of India, Chandramukhi Nariman Point, Mumbai, Maharashtra-400021 Regional Office Address Central Bank Of India First Floor, S C Road, Jaipur, Rajasthan 302001 Branch Office Address Central Bank Of India, Merta City, Nagaur, Rajasthan Through Authorized Officer Ankit Kumar Suthar

बनाम

अप्रार्थीगण

1- Late Mr. Chen Singh S/o Mr. Pabudan Singh के द्वारा LR मृ०
2- Mrs. Dhapu Kanwar W/o Late Mr. Chen Singh
3- Lal Kanwar D/o Late Mr. Chen Singh
4- Santosh Kanwar D/o Late Mr. Chen Singh
5- Neetu Kanwar D/o Late Mr. Chen Singh
6- Renu Kanwar D/o Late Mr. Chen Singh
7- Mr. Laxman Singh S/o Late Mr. Chen Singh

Address- 666, Brahampuri Mohalla, Village-Gagrana, Tehsil Merta, Dist. Nagaur Rajasthan

आदेश

दिनांक: 24/04/2025

प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत पेश हुआ, जो दर्ज रजिस्टर किया गया।

वकील प्रार्थी को सुना गया। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों में यह कथन किया है कि प्रार्थी बैक ने अप्रार्थी/ ऋणी को रूपये **2,00,000/–(अक्षरे दो लाख रूपये मात्र) दिनांक 09.10.2023** को ऋण उपलब्ध करवाया गया। अप्रार्थीगण/ऋणी द्वारा उक्त प्राप्त ऋण की सुविधा के एवज में **सम्पति– स्वर्गीय चैन सिंह पुत्र श्री पाबूदान सिंह जरिए समस्त विधिक वारिसान श्रीमति धापू कंवर पत्नि स्वर्गीय चैन सिंह, सुश्री लाल कंवर पुत्र स्वर्गीय चैन सिंह, सुश्री संतोष कंवर पुत्री स्वर्गीय चैन सिंह, सुश्री नीतू कंवर पुत्री स्वर्गीय चैन सिंह, सुश्री रेणू कंवर पुत्री स्वर्गीय चैन सिंह एंव श्री लक्ष्मण सिंह पुत्र स्वर्गीय चैन सिंह की एक आवासीय सम्पति पट्टा संख्या 79 (पट्टा रजिस्ट्रेशन विवरण क्रमांक संख्या 2014001787 दिनांक 28.02.2014) ग्राम गगराना तहसील मेडता जिला नागौर राजस्थान पर स्थित है। जिसमें भूमि, भवन एंव ढांचा आदि सभी सम्मलित है, जो सभी सम्पति के अभिन्न अंग है। जिसका क्षेत्रफल लगभग 1960 वर्गफुट है उक्त सम्पति की चारो सीमाऐं निम्नानुसार है– उत्तर में– मकान कान सिंह, दक्षिण में–मकान दौलत सिंह, पूर्व में–मकान शिव प्रसाद पारीक, पश्चिम में– रास्ता/स्कूल,** जो प्रार्थी बैक के पास ऋण अदायगी हेतु ऋणी एंव जमानतदार ने आवश्यक दस्तावेज निष्पादित किये।

अप्रार्थीगण/ऋणी ने उपलब्ध ऋण का बैक के नियमानुसार भुगतान नही चुकाया। जिसकी वजह से उक्त खाते को **दिनांक 20.04.2019 को एन.पी.ए.** घोषित कर दिया गया व अप्रार्थी/ऋणी के ऋण खाते में **रूपये 1,63,838/–(अक्षरे एक लाख तरेसठ हजार आठ सौ अडतीस रूपये मात्र) दिनांक 30.06.2019 तक शेष देय है व इससे आगे का ब्याज व खर्चे आदि सहित राशि बकाया निकलते हैं।**

उक्त ऋण खाते में ऋणी द्वारा नियमानुसार भुगतान नहीं करने पर एन.पी.ए. घोषित होने के बाद एक्ट की धारा 13 (2) के अन्तर्गत प्रार्थी बैक ने ऋणी/अप्रार्थी को दिनांक **08.07.2019** को रजिस्टर्ड दिये गये परन्तु इसके पश्चात भी अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि जमा नहीं करवायी गई व न

जिला मजिस्ट्रेट
नागौर

बंधक शुदा सम्पति सम्पूर्ण कब्जा प्रार्थी बैंक को दिया गया। ऋणी को उपरोक्त नोटिस के अनुसार 60 दिन के अन्दर–अन्दर ऋण राशि **रूपये 1,63,838/–(अक्षरे एक लाख तरेसठ हजार आठ सौ अडतीस रूपये मात्र) दिनांक 30.06.2019 तक शेष देय है व इससे आगे का ब्याज व खर्चे आदि सहित राशि** को जमा कराना था परन्तु ऋणी/अप्रार्थीगण ने उपरोक्त नोटिस के अनुसार ऋण राशि जमा नहीं करवाई, के कारण एक्ट की धारा 13 (4) के अन्तर्गत कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है।

एक्ट की धारा 14 (1) के अन्तर्गत प्रार्थी बैंक को बंधक सम्पति का ऋणी एवं जमानतियों से कब्जा लेने में सहायता आवश्यकता है, के कारण प्रार्थी बैंक ने जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष बैंक सिक्योरिटीज एवं सिक्योरिटीज से संबंधित डोक्यूमेन्ट का ऋणी/जमानती से कब्जा लेकर प्रार्थी बैंक को कब्जा दिलवाने के लिये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

बैंक सिक्योरिटीज सम्पति का विवरण :– **सम्पति– स्वर्गीय चैन सिंह पुत्र श्री पाबूदान सिंह जरिए समस्त विधिक वारिसान श्रीमति धापू कंवर पत्नि स्वर्गीय चैन सिंह, सुश्री लाल कंवर पुत्र स्वर्गीय चैन सिंह, सुश्री संतोष कंवर पुत्री स्वर्गीय चैन सिंह, सुश्री नीतू कंवर पुत्री स्वर्गीय चैन सिंह, सुश्री रेणू कंवर पुत्री स्वर्गीय चैन सिंह एंव श्री लक्ष्मण सिंह पुत्र स्वर्गीय चैन सिंह की एक आवासीय सम्पति पट्टा संख्या 79 (पट्टा रजिस्ट्रेशन विवरण क्रमांक संख्या 2014001787 दिनांक 28.02.2014) ग्राम गगराना तहसील मेडता जिला नागौर राजस्थान पर स्थित है। जिसमें भूमि, भवन एंव ढांचा आदि सभी सम्मलित है, जो सभी सम्पति के अभिन्न अंग है। जिसका क्षेत्रफल लगभग 1960 वर्गफुट है उक्त सम्पति की चारो सीमाऐं निम्नानुसार है– उत्तर में– मकान कान सिंह, दक्षिण में–मकान दौलत सिंह, पूर्व में–मकान शिव प्रसाद पारीक, पश्चिम में– रास्ता/स्कूल,** जो प्रार्थी बैंक के पास हाईपोथीकेटेड है, का कब्जा लेना है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर प्रार्थना पत्र में वर्णित सम्पत्ति का कब्जा संबंधित डोक्यूमेन्टस का कब्जा एक्ट की धारा 14 के अनुसार ऋणी/अप्रार्थीगण से प्रार्थी बैंक को कब्जा दिलाने का आदेश जारी करने हेतु निवेदन किया है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि ऋणी/अप्रार्थीगण ने प्रार्थी बैंक से **रूपये 2,00,000/–(अक्षरे दो लाख रूपये मात्र) दिनांक 09.10.2023** प्राप्त की थी। उक्त ऋण के बदले में इकरारनामा व उससे संबंधित दस्तावेज तैयार कर अपने हस्ताक्षर से प्रार्थी बैंक के पक्ष में निष्पादित किये थे। प्रार्थी बैंक द्वारा नियमानुसार ऋण वसूली के लिये आडिनेन्स की धारा 13 (2) के अन्तर्गत नोटिस जारी करना पाया जाता है।

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 में उपरोक्तानुसार रहन की गयी सम्पत्ति को प्रार्थी के कब्जे में दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। जो इस प्रकार है:– प्रतिभूति आस्थी का कब्जा लेने में प्रतिभूति लेनदार की सहायता करने के लिये मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट जहां किसी प्रतिभूति आस्तियों का कब्जा प्रतिभूत लेनदार द्वारा लिये जाने की आवश्यकता हो, या यदि किन्ही प्रतिभूत आस्तियों का विकय या अन्तरण प्रतिभूत लेनदार द्वारा इस अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत किये जाने की आवश्यकता हो, तो प्रतिभूत लेनदार किसी प्रतिभूत आस्ति के कब्जे या नियंत्रण को लेने के प्रयोजन के लिये, लिखित में मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट को उनकी अधिकारिता के भीतर अनुरोध करेगा, ऐसी कोई प्रतिभूत आस्ति या उससे संबंधित अन्य दस्तावेज स्थित हो सकेगा या पाया जा सकेगा,उसका कब्जा लेने के लिये अनुरोध करेगा,और मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राज.)

जिला मजिस्ट्रेट
नागौर।

मजिस्ट्रेट जो स्थित हो, उसको किये गये उस अनुरोध पर –(क)उस आस्ति और उससे संबंधित दस्तावेजों का कब्जा लेगा, और (ख) प्रतिभूत लेनदार को उन आस्तियों और दस्तावेजों को भेजेगा।

धारा 14 (2) उप धारा (1) के प्रावधानों के साथ अनुपालना को सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिये, मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट उन कदमो को लेगा या लिवा सकेगा या ऐसा बल प्रयुक्त कर सकेगा जो उसकी राय मे आवश्यक हो सकेगा।

उपरोक्त प्रावधानो को दृष्टीगत रखते हुए इस संबंध मे पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने हेतु आदेश पारित किया जाना हम उचित समझते हैं । अतः प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। पुलिस अधीक्षक नागौर को निर्देश दिये जाते है कि अप्रार्थी/ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक के पक्ष मे बतौर प्रतिभूति अपने स्वामित्व मे सम्पति– स्वर्गीय चैन सिंह पुत्र श्री पाबूदान सिंह जरिए समस्त विधिक वारिसान श्रीमति धापू कंवर पत्नि स्वर्गीय चैन सिंह, सुश्री लाल कंवर पुत्र स्वर्गीय चैन सिंह, सुश्री संतोष कंवर पुत्री स्वर्गीय चैन सिंह, सुश्री नीतू कंवर पुत्री स्वर्गीय चैन सिंह, सुश्री रेणू कंवर पुत्री स्वर्गीय चैन सिंह एंव श्री लक्ष्मण सिंह पुत्र स्वर्गीय चैन सिंह की एक आवासीय सम्पति पट्टा संख्या 79 (पट्टा रजिस्ट्रेशन विवरण क्रमांक संख्या 2014001787 दिनांक 28.02.2014) ग्राम गगराना तहसील मेडता जिला नागौर राजस्थान पर स्थित है। जिसमें भूमि, भवन एंव ढांचा आदि सभी सम्मलित है, जो सभी सम्पति के अभिन्न अंग है। जिसका क्षेत्रफल लगभग 1980 वर्गफुट है उक्त सम्पति की चारो सीमाऐं निम्नानुसार है– उत्तर में– मकान कान सिंह, दक्षिण में–मकान दौलत सिंह, पूर्व में–मकान शिव प्रसाद पारीक, पश्चिम में– रास्ता/स्कूल, जो प्रार्थी बैक के पास हाईपोथीकेटेड है, को प्रार्थी बैक के हक मे बंधक किया था तथा बंधक विलेख निष्पादित किया था, के संबंध मे संबधित थानाधिकारी, पुलिस थाना को निर्देशित करे कि वे उक्त संपति का कब्जा व उसमे संबधित अन्य कोई दस्तावेज अप्रार्थी के कब्जे मे हो तो उन दस्तावेजो को प्रार्थी को संभलाने हेतु मौके पर जाकर विधि सम्मत कार्यवाही करें।

आदेश सुनाया गया।

(अरूण कुमार पुरोहित)
जिला कलक्टर एंव जिला मजिस्ट्रेट
नागौर।